[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्यां 67/2021- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "स्टील और फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक" जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 9017 80 10 या 9017 90 00 के अंतर्गत आता है, के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/24/2019-डीजीटीआर के तहत दिनांक 18 जून, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित स्टील और फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित 'स्टील और फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक' के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 8 जुलाई, 2020, जिसे सा.का.नि. 433(अ), दिनांक 8 जुलाई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत प्रतिपाटन शुल्क लगाया था ।

और जहां कि, चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित 'स्टील और फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक' के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के सर्कम्वेनशन के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 07/36/2020-डीजीटीआर, दिनांक 21 सितम्बर, 2020, जिसे दिनांक 21 सितम्बर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस बात को निर्धारित करने के लिए जांच कार्य शुरू किया था कि क्या चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित 'स्टील और फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक' पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 8 जुलाई, 2020, जिसे सा.का.नि. 433(अ), दिनांक 8 जुलाई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को सिंगापुर और कम्बोडिया (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित 'स्टील और फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक' जो कि उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 9017 80 10 या 9017 90 00 के अंतर्गत आते हैं, के भारत में होने वाले आयात पर भी लगाया जाना जरूरी है ।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 07/36/2020-डीजीटीआर, दिनांक 3 सितम्बर, 2021 के तहत प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि;

(i) विषयगत देशों से विषयगत वस्तु के मामले में व्यापार के प्रतिमान में परिवर्तन देखने में आया है;

(ii) विषयगत देशों से विषयगत वस्तु का आयात बहुत ही कम मूल्य पर हो रहा है;

(iii) विषयगत देशों से हो रहे विषयगत वस्तु के आयात का चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगे वर्तमान प्रतिपाटन उपायों का उपचारात्मक प्रभाव कम हो गया है;

और उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित 'स्टील और फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक' पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 8 जुलाई, 2020, जिसे सा.का.नि. 433 (अ), दिनांक 8 जुलाई, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं पर भी लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 27 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1), (1क) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जिनकी विशिष्टता कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है पर कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से, कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	विशिष्टता	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	स्टील के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक	सिंगापुर	सिंगापुर	कोई भी	1.83	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
2	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	स्टील के मेजरिंग टेप्स और उनके	सिंगापुर	सिंगापुर से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	1.83	कि.ग्रा.	अमेरिकी डॉलर

			पार्ट्स तथा घटक						
3	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	स्टील के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक	सिंगापुर से भिन्न कोई भी देश	सिंगापुर	कोई भी	1.83	कि. ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
4	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	स्टील के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक	कंबोडिया	कंबोडिया	कोई भी	1.83	कि. ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
5	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	स्टील के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक	कंबोडिया	कंबोडिया से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	1.83	कि. ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
6	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	स्टील के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक	कंबोडिया से भिन्न कोई भी देश	कंबोडिया	कोई भी	1.83	कि. ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
7	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक	सिंगापुर	सिंगापुर	कोई भी	2.56	कि. ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
8	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक	सिंगापुर	सिंगापुर से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	2.56	कि. ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
9	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक	सिंगापुर से भिन्न कोई भी देश	सिंगापुर	कोई भी	2.56	कि. ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
10	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक	कंबोडिया	कंबोडिया	कोई भी	2.56	कि. ग्रा.	अमेरिकी डॉलर
11	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक	कंबोडिया	कंबोडिया से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	2.56	कि. ग्रा.	अमेरिकी डॉलर

12	9017 80 10 या 9017 90 00	मेजरिंग टेप्स	फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक	कंबोडिया से भिन्न कोई भी देश	कंबोडिया	कोई भी	**2.56**	कि. ग्रा.	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगा और उपर्युक्त अधिसूचना संख्या - 17/2020 सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक **8** जुलाई 2020 , जिसे सा.का. नि . **433** (अ), दिनांक 8 जुलाई,2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के तहत स्टील और फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक पर लगाए गए उक्त प्रतिपाटन शुल्क के सहअवसानिक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) होगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190349/7/2021-टीआरयू **सेक्शन**-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव